



SRI SAI GURUKULAM

EISHIPUR, MAHARANI PASHCHIM, SULTANPUR-222303

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the upload document is
in original prescribed as per the state
government.

MANAGER
SRI SAI GURUKULAM
EISHIPUR, MAHARANI PASHCHIM, SULTANPUR
222303

Manager

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
अयोध्या मण्डल, अयोध्या

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद शिक्षा केन्द्र-2,
समुदाय केन्द्र प्रीत बिहार,
नई दिल्ली-110092।

पत्रांक:

सी०बी०एस०ई० / ————— / 2022-23 दिनांक— नवम्बर, 2022

विषय:-

श्री साई गुरुकुलम ईशीपुर, महारानी पश्चिम, सुलतानपुर उपग्रो को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री साई गुरुकुलम ईशीपुर, महारानी पश्चिम, सुलतानपुर, उपग्रो को सी०बी०एस०ई० बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या-2762/ 15-13-91-4(46)91 दिनांक-30 नवम्बर, 1991, शासनादेश संख्या-1916/ 15-7-09-01(299)/2007 दिनांक-14 जुलाई, 2009 एवं राजाज्ञा संख्या-2144/15-07-2020-1 (34)/2020 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-07, लखनऊ दिनांक 07.01.2021 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अन्तर्गत गठित मण्डलीय समिति की संस्तुति के उपरान्त दिनांक 30.11.2022 को आयुक्त, महोदय के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

- (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एकामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
(च) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
(झ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा स्कूल बस में छात्र/छात्राओं की सुरक्षा हेतु जारी निर्देश संख्या CBSE/AFF/Circular-8/2017/1217401 दिनांक 23.02.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(ट) विद्यालय भवन का मानचित्र सक्षम स्तर से स्वीकृत कराना होगा।

उक्त के अतिरिक्त विद्यालय के मानक के अन्तर्गत दिये गये परिशिष्ट-3 के कम 5, 6, जो निम्नवत हैं—

01/12/2022

—02 पर—

MANAGER
SRI SAI GURUKULAM
Shipur, Maharani Paschim
Sultanpur (U.P.) 223003

(2)

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी, जैसा कि यथास्थिति काउन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन में वर्णित हो मुख्यतः कक्षा-12 के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा-10 तक के प्रधानाध्यापक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा-11 से 12 में पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय के स्नातकोत्तर होंगे, जिसमें शिक्षण-कार्य किया जाना हो। कक्षा-9-10 में पढ़ाने वाले अध्यापक संबंधित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व माध्यमिक कक्षा-6 से 8 तक अध्यापक स्नातक एवं प्रशिक्षित होने के साथ ही साथ C.TET अथवा UP.TET जूनियर स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कक्षा-1 से 5 तक शिक्षण के लिये स्नातक, बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के साथ C.TET अथवा UP.TET प्राथमिक स्तर या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के लिये सेवा शर्तें बनायी जायेंगी, जिसमें परिवीक्षा काल, स्थायीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध में विधिसम्मत प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी0एफ0 तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। सेवा शर्तें समता, समानता, धर्म, जाति, भाषा एवं लिंग से रहित नैसर्गिक न्याय तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए।

विद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कम से कम वही वेतनमान तथा अन्य भत्ते देने होंगे जो राज्य सरकार के शासकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों को समय-समय पर दिये जाते हैं, किन्तु किसी कारणवश विद्यालय की आय क्षमता इतनी न हो, तो वेतन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए। उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त विद्यालय अन्य शर्तों को भी पूरा करेंगे।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा यदि इस संबंध में संस्था द्वारा कोई तथ्य गोपन किया गया हो अथवा किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है, तो निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त करने का अधिकार शासनादेश संख्या-2762 / 15-13-91-4(46)91 दिनांक- 30 नवम्बर, 1991 एवं राजाज्ञा संख्या-1916 / 15-7-09-01(299) / 2007 दिनांक-14 जुलाई, 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति में सुरक्षित रहेगा।

भवदीय


(अरविन्द कुमार पाण्डेय)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या

पृष्ठांकन संख्या: सी0बी0एस0ई0 / 6692-99 / 2022-23 दिनांक- उक्तवत्।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
3. शिक्षा निदेशक(मा0) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ, उ0प्र0।
4. जिलाधिकारी, सुलतानपुर।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, सुलतानपुर।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, श्री साईं गुरुकुलम् ईशीपुर, महारानी पश्चिम, सुलतानपुर।
8. गार्ड फाइल।


MANAGER
SRI SAI GURUKULAM
Ishipur, Maharan Paschim
Sultanpur (U.P.) 222201


संयुक्त शिक्षा निदेशक,
अयोध्या मण्डल, अयोध्या

30/11/22